

#Shahjahanpurpol

प्रेस नोट –दिनांक 29.05.2022

थाना जलालाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी,

***अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा, 09 अदद तमंचे व 01 अदद बन्दूक भारी मात्रा मे शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद, शातिर अभियुक्त ओमकार गिरफ्तार ***

श्री एस0 आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद मे अपराध की रोकथाम व अवैध शराब एवं अवैध शस्त्र का कारोबार करने वाले 10-टाप , क्रियाशील एवं चिन्हित किये गये अपराधियो , वाछित एवं वारंटी अभियुक्तगणो की गिरफ्तारी एवं अपराध की रोकथाम अभियान एवं प्रचलित अभियान “आपरेशन पाताल” के अन्तर्गत श्री संजीव कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देश व श्री मस्सा सिंह क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के पर्यवेक्षण तथा श्री जयशंकर सिंह थानाध्यक्ष जलालाबाद के नेतृत्व मे थाना जलालाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली ।

दिनांक 28.05.2022 को थाना जलालाबाद पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर व निशानदेही पर ग्राम एलमनगर से अभियुक्त ओमकार पुत्र लाखन को उसके घर के सामने स्थित छप्पर के अन्दर अवैध अस्लाह फैक्ट्री संचालित करते समय रात्रि करीब 09.00 बजे गिरफ्तार किया गया । मौके पर कुल 09 अदद बने तमंचे/बंदूक व अस्लाह बनाने की फैक्ट्री, 06 अदद नाल व धोकनी, हथौड़ी, रैती, छैनी, आदि सामान बरामद किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं 386/22 धारा 3/5/25 शस्त्र अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1- ओमकार पुत्र लाखन नि0 एलमनगर थाना जलालाबाद शाहजहाँपुर ।

बरामदगी का विवरण

- 1- 02 तमंचा 315 बोर (चालू हालत में)
- 2- 02 तमंचा 12 बोर (चालू हालत में)
- 3- 04 तमंचा 12 बोर (रिपेयरिंग हेतु)
- 4- 01 गजही बन्दूक 12 बोर (रिपेयरिंग हेतु)
- 5- 06 अदद नाल
- 6- भारी मात्रा मे शस्त्र बनाने के उपकरण धोकनी, रैती, छैनी, 02 हथौड़ी, कटर, पट्टा लोहे का, प्लास, रिंच, पैचकस, स्पीरिंग, स्कू, व अन्य सामान

पूछताछ का विवरण

पूछताछ पर अभियुक्त ने बताया कि वह विगत काफी समय से शस्त्र फैक्ट्री चला रहा है लेकिन वह लगातार यह काम नहीं करता है। एक बार में दस से पन्द्रह असलहों का ऑर्डर किसी भरोसेमन्द आदमी से लेता है। फिर असलहा एक हजार से पन्द्रह सौ रूपये में बेच देता है। बिचौलिया इससे खरीदा हुआ असलहा 3000-4000 रूपये में ग्राहकों को बेचता है। पूछताछ पर अभियुक्त ने यह भी बताया कि उसने यह काम अपने ही गाँव के अपने गुरु महेन्द्र पुत्र रामनाथ से सीखा है। डेढ वर्ष पूर्व महेन्द्र शस्त्र फैक्ट्री में जेल चला गया और ओमकार मौके से भाग गया था। इसका गुरु महेन्द्र डकैत कल्लू गैंग व नरेश धीमर गिरोह को अस्लाह ऑर्डर पर सप्लाई करता था तथा इन डकैतों के गिरोह के क्षतिग्रस्त व पुराने अस्लाहों को रिपेयर भी करता था। डकैत गिरोहों का सफाया होने पर यह लोग असलहा फुटकर ग्राहकों को सप्लाई करने लगे थे। महीने में अभियुक्त पन्द्रह से बीस असलहा बेच लेते थे। दौराने दबिश व छापेमारी अभियुक्त के पास 04 अस्लाह चालू हालत में मिले, जबकि 04 तमंचा व एक बन्दूक 12 बोर, रिपेयरिंग हेतु ग्राहकों से ले रखा था, जोकि अवैध है और मौके से बरामद हुई है। अभियुक्त से रिपेयरिंग हेतु रखे अवैध असलहा के धारकों के बारे में पूछा तो सही बात नहीं बताया और बताया कि मैं ग्राहकों का नाम इसलिए नहीं पूछता हूँ ताकि वह मुझ पर शक न करें। अभियुक्त की गिरफ्तारी से थाना स्थानीय क्षेत्र में अवैध असलहों के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगेगा।

अपराधिक इतिहास

1- मु0अ0सं0 816/2015 धारा 4/10 वन संरक्षण अधिनियम बनाम ओमकार उपरोक्त

पुलिस बल का विवरण

1. श्री जयशंकर सिंह थानाध्यक्ष जलालाबाद, शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 श्री विमल सिंह थाना जलालाबाद, शाहजहाँपुर
3. का0 2330 सुमित कुमार थाना जलालाबाद, शाहजहाँपुर
4. का0 2534 आशीष कुमार थाना जलालाबाद, शाहजहाँपुर
5. का0 1741 विपिन पूनिया थाना जलालाबाद, शाहजहाँपुर
6. का0 333 रणवीर सिंह थाना जलालाबाद, शाहजहाँपुर
7. का0 2206 पवन कुमार मौर्य थाना जलालाबाद, शाहजहाँपुर
8. का0 1726 डिपेन्द्र सिंह थाना जलालाबाद, शाहजहाँपुर